<table>
<thead>
<tr>
<th>अ. प्र.</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदर्शिति का कार्यालय</th>
<th>न्यून पदर्शिति का कार्यालय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री बंडुल श्रीवस्तव</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>वृहत कार्यालय सिविली</td>
<td>वनस्पति उत्तर शहकर कोलाम-5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री गोविन्द शिव बैल</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>पशुपाल सामान्य वनस्पति मंडल उदयपुर</td>
<td>.दक्षिण ताम्रपत्ती वनस्पति सिविली</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्री विजय विश्वास</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति श्रीमण्डल शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति सिविली</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्री मंडलधर बिजनाराम</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति श्रीमण्डल शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्री गोविन्द बाबू</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति मोहल</td>
<td>सामान्य वनस्पति विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>श्री तुरास कुमार चंद्र</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति होशङगावाद परियोजना इ.ट.पी.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>श्री राजेन्द्र रायकावर</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
<td>वक्ता प्रशासन मुख्य वन संस्थागत मोहल</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>श्री प्रदीप निवास</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>वन वृक्ष शिवसूरी</td>
<td>सामान्य वनस्पति केंद्री वनस्पति</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>कुल शोभुनाराम नापन</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति कहरी</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स. वृक्षज्ञात जवलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>श्री महेश कुमार</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति विभाग शिवसूरी</td>
<td>अनु.विज्ञान विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>श्री मोतीलाल कलमे</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति दर्शन शेती</td>
<td>वृहत कार्यालय खस्तवाणा</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>श्री महेश खड़े</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>उद्योग शेती सामान्य वनस्पति</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>श्री जयदेव जयरम</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स. (सर्व. / शिव.) मोहल</td>
<td>वन विभाग शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>श्री हरिधारा जनेश</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति विभाग</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>आशीष मुखर्जी</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स.अनुसूचीन विभाग शेती त.लाम</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>कुल जयरम जयरम</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>दर्शन सामान्य शेती</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स.अनुसूचीन विभाग शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>श्री कुलदेव भ्रू</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति पशुपालन भवन</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>श्रीमती संगीता नागर</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति होशंगावाद</td>
<td>सामान्य वनस्पति पशुपालन भवन</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>श्रीमती नूजरिंदर</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति होशंगावाद</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स. मधुद्वार जवलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>श्रीमती नीली नामदेव राजरम</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति होशंगावाद</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स. मधुद्वार जवलपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>श्री चित्तेश चाकर</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति शेती</td>
<td>वृहत कार्यालय खस्तवाणा</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>श्री नितांत चाकर</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति दर्शन शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>श्रीमती लोकीता तिवारी</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति विभाग</td>
<td>कार्यालय, मु.व.स. कार्य आयोजना इ.ट.पी.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>नवनीं लांजोंद</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>पशुपालन वनस्पति होशंगावाद</td>
<td>सामान्य वनस्पति दर्शन शेती खस्तवाणा</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>श्री जयसुरेश लांजोंद</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति शेती</td>
<td>सामान्य वनस्पति उद्योग शेती</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>श्री राकेश बाबू</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>सामान्य वनस्पति शिवसूरी</td>
<td>सामान्य वनस्पति मोहल</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>श्री मनोज कुमार</td>
<td>सहायक प्रेस-3</td>
<td>कार्यालय, प्रमुख प्रशासनी निदेश (मालिक) म.प. मोहल</td>
<td>सामान्य वनस्पति मु.व.स.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
स्थानांतरण नीति की कड़िका -12.2 में स्थानांतरित/कार्य मुख्य कर्मचारी के आदेश में संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा एन्प्लाइ कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा नवीन पदस्थिति हेतु कार्ययुक्त किया जाकर, सूचित करें। व्यवस्था के व्यापक प्रारूप में स्थानांतरण होने से इसी स्थानांतरण यात्रा देयक की पात्रता नहीं होगी।

स्थानांतरित कर्मचारियों की वरीयता का निर्णय नवीन पदस्थिति स्थान पर उपस्थिति होने के दिनांक से किया जाएगा।

(श्री. एस.पी. रघुल)  
अपर प्रधान मुख्य वन निर्माण (प्रशा.-11)  
मध्यप्रदेश, भोपाल  

पु.कर्मचारि/प्रशा.11/मुख्य.रथा-4/53224  
भोपाल, दिनांक 10-07-17  

प्रतिपति:—

1. निज शिक्षा, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन।
2. विद्यालय शास्त्रीय, प्राधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सिध्दलेख निर्माण) मध्यप्रदेश भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना इंदिरा मध्यप्रदेश।
5. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/सिवारी/शहीदोल/जबलपुर/शिवपुरी/भोपाल/सोंगमाबाद/बेटुल/खड़गा/  
   रीवा/चिन्तामणि/उज्जैन/म्यालिया/इंदीरा एवं कार्यालय, आयोजना इंदीरा मध्यप्रदेश।
6. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विश्वस्तर म्यालिया/रतलाम मध्यप्रदेश।
7. संचालन, वन विभाग बेटुल/शिवपुरी मध्यप्रदेश।
8. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल/उत्तर शहीदोल/परिचय मण्डल/दक्षिण तिहारी/रायपुर/सीहोर/  
   दिल्ली/भोपाल/उदयपुर/हरिद्वारा/योगाकाश/कर्नली/दक्षिण बेटुल/बड़वानी/उत्तर भोपाल/खरगोन/  
   तिरहुत/मण्डल/दक्षिण पन्ना/पूर्व चिन्तामणि/उत्तर बालासागर/शिवपुरी/गुर्जर मध्यप्रदेश।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियमशास्त्र अधिकारी के माध्यम से  
   की ओर सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेरित।

10. आदेश नहीं/गार्ड नहीं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11)  
मध्यप्रदेश, भोपाल
कार्यालय प्रदान मुख्य वन संस्थाप (प्रशासन—11) मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल
फोन. नं. 0755-2674238, फोकस नं. -2575887, E-mail ID_apecinsg@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 16.07.17

निम्नलिखित कर्मचारियों को रिकार्द स्थान पर स्वयं के व्यय पर स्वायत्त कर तकनीकी प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के समस्त कालम—5 में दर्शाए स्थान पर अस्थायी रूप से पद्धति किया जाता है —

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदरिच्छेद से का कार्यालय</th>
<th>नवीन पदरिच्छेद से का कार्यालय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री अभिषेक युवाल केदार</td>
<td>भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल इंदिरा</td>
<td>सामान्य वनमंडल सिंहगढ़ी</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री उसुनद्र देसह खरे</td>
<td>भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल उज्जैन</td>
<td>सामान्य वनमंडल वालिकर</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्रीमती विश्वकृष्णी निर्मिती</td>
<td>भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल सिंहगढ़ी</td>
<td>सामान्य वनमंडल सीटी</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्री श्रींगतेस्वर विवाहींते</td>
<td>भूमिका</td>
<td>संचालक नेशनल पार्क होरंगाबाद</td>
<td>सामान्य वनमंडल वालिकर</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्रीमती राजसवरी</td>
<td>भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल भोपाल</td>
<td>सामान्य वनमंडल रायसेन</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>श्रीमती मणीस्वर नसर भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल रायसेन</td>
<td>सामान्य वनमंडल इंदिरा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>श्रीमती कमला शाकुनिया भूमिका</td>
<td>सामान्य वनमंडल रायसेन</td>
<td>सामान्य वनमंडल परिषद मण्डला</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>श्री विश्व बेगुम</td>
<td>भूमिका</td>
<td>भवन राजस्व उद्योग संचालक</td>
<td>सामान्य वनमंडल दक्षिण शहीदल</td>
</tr>
</tbody>
</table>

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन लिखात्मक द्वारा जारी श्यामानाथपारा नीति वर्ष 2017–2018 की काँडिका–11 के तहत स्वायत्त शासन आदेश जारी होने के दौरान के शीर्ष स्वायत्तस्थिति अधिकारी/कर्मचारी को कार्यरत किया जाना अनिवार्य है।

श्यामानाथपारा नीति की काँडिका —122 में स्वायत्तस्थिति/कार्य मुख्य कर्मचारी के आदेश के संबंध में संचित मुख्य वन संस्थाप एवं वनमंडलशासिकारी द्वारा एम्पलाइड कोड अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये तथा नवीन पदरिच्छेद हेतु कार्यरत किया जाकर, पूर्विक रूप से स्वयं के व्यय पर स्वायत्त करने वाले की पाया नहीं होगी।

श्यामानाथपारा कर्मचारियों की वरीयता का निर्णय नवीन पदरिच्छेद स्थान पर उपस्थिति होने के दिनांक से किया जाेगा।

(से.एम.पी. चमत) अपर प्रदान मुख्य वन संस्थाप (प्रशासन—11)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पु.कांडिका/प्रशासन—11/मुख्या.स्थान—4/5325

प्रस्तिपति—

1. निज स्थिति, माननीय भवनमंडली गृह मध्यप्रदेश शासन।
2. विवेचन निज स्थानकार, प्रदान मुख्य वन संस्थाप (वन बल ग्रुप) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संस्थाप (क्षे.) इंदौर/उज्जैन/सिंहगढ़।
4. संचालक, नेशनल पार्क होरंगाबाद/रायसेन|भवन राजस्व उद्योग संचालक, नेशनल पार्क होरंगाबाद/रायसेन।
5. वनस्थलअधिकारी, सामान्य वनमंडल इंदौर/संवारी/उज्जैन/वालिकर, सीटी, भोपाल।
6. संचालक कर्मचारी द्वारा नियोजनकारणी अधिकारी के माध्यम से की ओर पुरुषार्थी एवं अवधारण कार्यवाही हेतु अपरिमेय।
7. आदेश नलिती/गार्ड नलित।

(से.एम.पी. चमत)
अपर प्रदान मुख्य वन संस्थाप (प्रशासन—11)
मध्यप्रदेश, भोपाल
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संस्थापक (प्रशासन-11) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

फोन. नं. 0755–2674238, फेक्स नं.-2575887, E_mail ID spccfhg@mp.gov.in

प्रमाण/प्रशा.-11/मुख्य स्था-4/452

भोपाल, दिनांक 15.11.17

निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सीमित कर अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मा कलम-5 में दर्शाये जाएंगे। अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं. क्र.</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदस्थिति का कार्यालय</th>
<th>नवीन पदस्थिति का कार्यालय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री रविन्द्र कुमार वर्मा</td>
<td>सहा.ग्रेड-1</td>
<td>सामान्य वनस्पति शाहबोल</td>
<td>जिला लघु वनो.संघ यूनियन मयां (प्रतिनियुक्ति पर)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री एरिक पीटर जेन्स</td>
<td>सहा.ग्रेड-1</td>
<td>सामान्य वन मण्डल रायसेन</td>
<td>जिला लघु वनो.संघ यूनियन मयां (प्रतिनियुक्ति पर)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्थानांतरण नीति व लागू 2017-18 की कंदिका-12.1 के अनुसार में स्थानांतरित करें। तथा इस कार्यालय को पालन प्रतिबिंदु भेजना चुनित चाहते हैं। शासकीय सेवकों का नुक्लालय स्थानांतरण रहने के कारण यह आदेश स्थानांतरण की क्षेत्री में नहीं लिए जाएगा। अतः स्थानांतरण यात्रा देने की पाठता नहीं होगी।

(डॉ. एस.पी. रायल)

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थापक (प्रशा.-11)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पु.प्रमाण/प्रशा.-11/मुख्य स्था-4/5326

भोपाल, दिनांक 10-07-17.

प्रतिनियुप्ति—

1. निज सविबंध, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन।
2. वरिष्ठ निज सहायक, प्राधिकार मुख्य वन संस्थापक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक (प्रशा./संस.) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संस्थापक (संस्थापक) मध्यप्रदेश, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. वनस्थलाधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज संघवारी यूनियन दक्षिण शाहबोल (सामान्य) वनस्पति /रायसेन (सामान्य) वनस्पति मध्य प्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियंत्रणकारी अधिकारी के माध्यम से की ओर सुरक्षीय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित।
7. आदेश नस्ती/गार्ड नस्ती।

आदेश नस्ती/गार्ड नस्ती।
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन—11) मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

फोन. नं. 0755—2674238, फेक्स नं.—2575887, E-mail ID_apccfmg@mp.gov.in

क्रमांक/प्रशा.—11/मुख्या.स्था.—4/५९४ 後

भोपाल, दिनांक १०.०७.२०१७

श्री राजस्थान मार्गवाड़ा, मुख्य कार्यालय पदन्त महाप्रबंधक लघु वनोपज संघ उज्जैन वृत्त की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति से वापस तेंदुए हुए उनके बैठक सामान्य वन मण्डल शाजापुर में स्थानांतरित कर तत्काल प्रभाव से पदावश्यक किया जाता है।

स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिशन—12.1 के अनुपलक्ष में स्थानांतरित कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें तथा इस कार्यालय को पालन प्रतिभेदन में निरनिश्चित करें।

(डॉ. एस.पी.रघुल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.—11)
मध्यप्रदेश , भोपाल

पु.क्रमांक/प्रशा. 11/मुख्या.स्था.—4/२३२७ 後

भोपाल, दिनांक १०.०७.२०१७

प्रतिलिपि:-

1. निज संचाल, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन ।
2. बरिच निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. अपर प्रबंध संचालक(प्रशा./सम.) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं पदन्त महाप्रबंधक लघु वनोपज संघ उज्जैन वृत्त मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलधारिकारी, सामान्य वन मण्डल शाजापुर मध्य प्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियमित कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेरित।

आदेश नसती/गार्ड गार्ड।

(डॉ. एस.पी.रघुल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.—11)
मध्यप्रदेश , भोपाल
निर्दिष्ट कर्मचारियों को रिक्त स्थान पर प्रशासकीय हित पर स्थानांतरण कर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्म मालम-5 में दर्शाये स्थान पर अर्थात रूप से पदक्षेप किया जाता है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>अ.क्रं</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदस्थिति का कार्यलिखि</th>
<th>नवीन पदस्थिति का कार्यलिखि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री ज्ञानसिंह जमारा</td>
<td>मुख्यलिपि</td>
<td>सावम् बढ़वानी</td>
<td>सावम् खण्डवा</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री विक्रम सिंह बरेल</td>
<td>सहायक-3</td>
<td>सावम्, सतना मैहर बन पृथक्त</td>
<td>व.म.सिंगरीली</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्री हृदेंद्र कुमार संकरसाना</td>
<td>सहायक-3</td>
<td>वनमण्डल श्रीपुर</td>
<td>सावम् खण्डवा</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्री अनुराग श्रीवासत्त</td>
<td>सहायक-3</td>
<td>कार्यआयोजना इंदीरा</td>
<td>उत्तर सावम् बैतूल</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-2018 की कहाड़ा-11 के तहत स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधीक्षक/कर्मचारी को कार्ययुक्त किया जाना अवधारित है।

स्थानांतरण नीति की कहाड़ा-12.2 में स्थानांतरित/कार्ययुक्त कर्मचारी के आदेश में संबंधित मुख्य वन संस्कर्त एवं वनमण्डल अधिकारी द्वारा एम्प्लाई कोड अवधारित रूप से अंकित किया जाये तथा नवीन पदस्थिति हेतु कार्ययुक्त किया जाकर, सूचित करें।

(सं. एस.पी. रवाल)

अपर प्रभाव मुख्य वन संस्कर्त (प्रशा.-11)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पू.क्रमांक/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/5.3.2.0

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन ।
2. दर्शन निज सचिव, प्रभाव मुख्य वन संस्कर्त (बन बल मुख्य) मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. अपर प्रभाव मुख्य वन संस्कर्त, कार्य आयोजना इंदीरा मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य वन संस्कर्त (केंद्रीय)/कार्य आयोजना इंदीरा/खण्डवा/रीवा/शिवपुरी/वलियर/वैतूल मध्यप्रदेश ।
5. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल बढ़वानी/खण्डवा/सतना/सिंगरीली/श्रीपुर/वलियर/वैतूल म.प्र.
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा निगमन कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेरित ।
7. आदेश नस्ती/गार्ड नस्ती।

अपर प्रभाव मुख्य वन संस्कर्त (प्रशा.-11)

मध्यप्रदेश, भोपाल
निम्नलिखित कर्मचारियों को रिहा स्वागत पर स्वयं के व्यक्ति पर स्थानांतरण कर तकनीक प्राप्ति से अभावी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कलम-5 में दर्शाये स्वागत पर अस्वीकार रूप से पदबिधि किया जाता है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदरिथि का कार्यलय</th>
<th>नवीन पदरिथि का कार्यलय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री बैरा बाबा गुप्तेश्वरी</td>
<td>सहा.सेवा-1</td>
<td>कार्यालय मुख्य खंडन</td>
<td>सामान्य वनमण्डल खरगोन</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री हरिकरण चोरसे</td>
<td>नेत्र निर्माण</td>
<td>सामान्य वनमण्डल छतरपुर</td>
<td>सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्री राववहन प्रसाद समी</td>
<td>नेत्र निर्माण</td>
<td>सामान्य वनमण्डल सिंगीरी</td>
<td>सामान्य वनमण्डल सतना</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्री बालावार बघेर</td>
<td>नेत्र निर्माण</td>
<td>सामान्य वनमण्डल दक्षिण पन्ना</td>
<td>सामान्य वनमण्डल हिजोरी</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>श्रीमती राजप्पालिनी राजेश</td>
<td>सहा.सेवा-2</td>
<td>निरन्तर राजधानी उद्यान बोपाल</td>
<td>स.व.स.सी.एच. वनप्रकृति अध्याय</td>
</tr>
</tbody>
</table>

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग या जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-2018 की कंडिशन-11 के तहत स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यस्थिति किया जाना अवधारित है।

स्थानांतरण नीति की कंडिशन-12.2 में स्थानांतरित/कार्य कुशल कर्मचारी के आदेश में संबंधित मुख्य का संस्करण एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा एम्प्लेन्ज फोड अवधारित रूप से अंकित किया जाये तथा नवीन पदरिथि हेतु कार्यक्रम किया जाकर, सूचित करे। स्वयं के व्यक्ति पर स्थानांतरण होने से इसे स्थानांतरण यात्रा देरवक की पात्रता नहीं होगी।

स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता का निरीक्षण नवीन पदरिथि स्वागत पर उपस्थिति होने के विनंती से किया जाएगा।

पु.कमांडर/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/5.322

प्रश्नार्थी :-

1. निज सचिव, माननीय अधीनस्त जी मध्यप्रदेश शासन।
2. दिव्योत्स प्रवास, प्रशासन मुख्य वन संस्करण (वन वैदिक मुख्य) मध्यप्रदेश बोपाल।
3. मुख्य वन संस्करण (सीट्रे) /खंडन /छतरपुर /बालाघाट/रिश्वत/शाक /मध्यप्रदेश/बोपाल/होंसगंगावाद मध्यप्रदेश।
4. संपत्ति / मुख्य वन संस्करण वन विहार राजधानी उद्यान बोपाल।
5. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन /छतरपुर /दक्षिण बालाघाट/सिंगीरी /सतना /दक्षिण पन्ना / हिजोरी /सीहोर /बरदा /होंसगंगावाद मध्य प्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अधिकारी के माध्यम से की हो वैकल्पिक एवं आयोजन कार्यवाही हेतु अभिवृद्धि।
7. आदेश नसी/गारं नहीं।

अपर प्रशासन मुख्य वन संस्करण (प्रशा.-11)

मध्यप्रदेश बोपाल
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
फोन. नं. 0755-2674238, फैक्स नं. 2575887, E_mail ID apecfng@mp.gov.in

क्रमांक/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/455

भोपाल, दिनांक 16.07.17

श्री पूल सिंह भील, सहायक प्रेस-1 कार्यालय सामान्य वनमण्डल भोपाल को कार्यालयीन
आदेश क्रमांक/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/659 दिनांक 31.08.2016 से सामान्य वनमण्डल शाजापुर किया
गया स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(श्री. ऐस.पी.रघुल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू.क्रमांक/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/5328

भोपाल, दिनांक 10.07.17

प्रतिलिपि:-
1. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन।
2. दर्शित निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक (कोषाधीश) भोपाल/उज्जैन मध्यप्रदेश।
4. वनमण्डलाधीकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल/उज्जैन मध्य प्रदेश।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियंत्रणकार्य अधिकारी के माध्यम से
   की ओर सूचनाबार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रहित।
   आवेश नस्ती| गार्ड नस्ती।

(श्री. ऐस.पी.रघुल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11)
मध्यप्रदेश, भोपाल
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संस्थान (प्रशासन-11) मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, मोपाल
फोन. नं. 0755-2674238, फैक्स नं. 2575887, E-mail ID: apccfmg@mp.gov.in

datenumber

भोपाल, दिनांक: 16.07.17

निम्नलिखित कर्मचारियों को रिक्त स्थान पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के समकालीन 5 में दर्शावे स्थान पर अस्थाई रूप से पदार्पण किया जाता है: —

<table>
<thead>
<tr>
<th>अ. क्र.</th>
<th>कर्मचारियों का नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>वर्तमान पदस्थिति का कार्यालय</th>
<th>नवीन पदस्थिति का कार्यालय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री शहजाद खान</td>
<td>माण्डलप्रतिकार</td>
<td>कार्य आयोजना, बैतूल</td>
<td>कार्यो, प्रमुख (वन्यप्राणी) मोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री तलुण कुमार बरिये</td>
<td>शीर्षाध्यक्ष</td>
<td>सामान्य वनमंडल अनूपपुर</td>
<td>वनमंडल (उत्तर) सिवनी</td>
</tr>
</tbody>
</table>

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-2018 की कंडिका-11 के तहत स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सतह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभूमि किया जाता न होगा।

स्थानांतरण नीति की कंडिका-12.2 में स्थानांतरित/कार्य मुक्त कर्मचारी के आदेश में संबंधित मुख्य वन संस्थापक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा एप्लाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा नवीन पदस्थिति हेतु कार्यमुक्त किया जाये, सूचित करें। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होने से इसने स्थानांतरण यात्रा देखक की पात्रता नहीं होगी।

स्थानांतरित कर्मचारियों की वरीयता का निर्धारण नवीन पदस्थिति स्थान पर उपस्थिति होने के दिनांक से किया जाएगा।

(डॉ. एस.पी.रघव)
अपर प्रधान मुख्य वन संस्थान (प्रशासन-11)
मध्यप्रदेश, मोपाल

पू. दिनांक/प्रशासन-11/मुख्या.स्था.-4/5323
भोपाल, दिनांक: 10-07-17

प्रतिलिपि:—

1. निज सचिव, मान्यन्त्री वनमंडली जी मध्यप्रदेश शासन।
2. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संस्थान (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संस्थापक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश मोपाल।
4. मुख्य वन संस्थापक (केंद्रीय)/कार्य आयोजना बैतूल/सिवनी/शहडोल मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल अनूपपुर/उपस्ताद वनमंडल सिवनी मध्य प्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियमानुसार अधिकारी के माध्यम से की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसर।
7. आदेश नस्ती/गार्डल नस्ती।

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थान (प्रशासन-11)
मध्यप्रदेश, मोपाल
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संस्कर्त (प्रशासन= 11) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
फोन. नं. 0755-2674236, फेक्स नं.-2575887, E_mail 1ID_apccfing@mp.gov.in
क्रमांक/प्रशा= 11/मुख्या.स्था= 4/ 4.5 C
भोपाल, विनाक 10-07-17

श्री अनिल ताम्रकार, वाहन वालक कार्यालय कार्य आयोजना आयोजना सीतानी को कार्यालयीन
आदेश क्रमांक/प्रशा.।11/मुख्या.स्था.।4/663 विनाक 31.08.2016 से सामान्य वनमण्डल सत्ता किया गया
स्थानांतरण आदेश तकाल उपभाग से निरस्त किया जाता है।

(भैं. एस.पी.संगाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संस्कर्त (प्रशा= 11)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पू.क्रमांक/प्रशा.।11/मुख्या.स्था= 4/532-59
भोपाल, विनाक 10-07-17

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन।
2. वरिष्ठ प्रशासन सहायक, प्रधान मुख्य वन संस्कर्त (वन वल मुख्या) मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संस्कर्त (तेजीय रीति) रीवा एवं कार्य आयोजना सीतानी मध्यप्रदेश।
4. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल सत्ता मध्य प्रदेश।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से
   की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रौं सिद्ध।
6. आदेश नन्दी/वार्ड नन्दी।

अपर प्रधान मुख्य वन संस्कर्त (प्रशा= 11)
मध्यप्रदेश, भोपाल